पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कंपनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयू की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गई है ।

1.2 31 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ में 18[1] सरकारी कंपनियाँ एवं एक[2] सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्कंध विपणियों में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखे के अनुसार इन पीएसयू का वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 11776.04 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया। यह आवर्त वर्ष 2012-13 के छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.35 प्रतिशत[3] के बराबर था। राज्य के पीएसयू की प्रमुख गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित है। राज्य के पीएसयू को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2012-13 में ₹ 1876.98 करोड़ की समग्र हानि हुई। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 20352 कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.3 वर्ष 2012-13 के दौरान कोई भी नया पीएसयू स्थापित नहीं किया गया एवं किसी पीएसयू/सांविधिक निगम का समापन नही किया गया।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसकी प्रदत्त पूँजी में सरकार का भाग 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सम्मिलित होती है।

1.5 राज्य सरकार की कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखों की लेखापरीक्षा वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के तहत की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

---

[1] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेवीएनएल), छत्तीगसढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरवीवीएनएल),छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेवीएवीएन), छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड(सीएमडीसी), सीएमडीसी, आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल), छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड (सीएसासीसीएल), सीएसपीजीसीएलएईएल पारसा कोलरीज़ लिमिटेड (सीएसपीजीसीएलएईएलपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल) एवं छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (सीएसडब्लूसी)

[3] प्रतिशत का आधार वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के जी.डी.पी. के आंकड़े है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के तहत सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम- 1962 के तहत शासित होती है । सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य के पीएसयू में निवेश

1.7 31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार 19 पीएसयू में (एक सांविधिक निगम सहित) ₹ 15609.61 करोड़ का निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) था। इसका विवरण अग्र तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
12449.18	3105.59	15554.77	4.04	50.80	54.84	15609.61

राज्य के पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक - 1.1*** में है।

1.8 31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार, ₹ 15609.61 करोड़ का 79.78 प्रतिशत पूँजी और 20.22 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में कुल निवेश हुआ। पीएसयू में निवेश वर्ष 2008-09 में ₹ 2963.05 करोड़ से 426.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 15609.61 करोड़ हो गया जैसा कि आगे दर्शाया गया है:

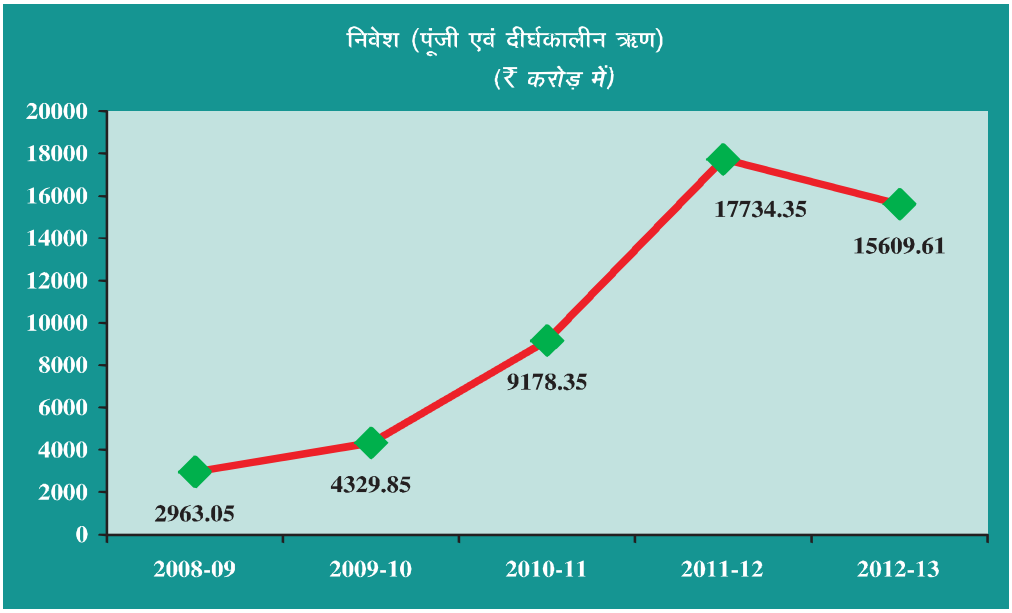

उपरोक्त रेखाचित्र से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के पीएसयू में निवेश गत वर्ष की तुलना में ₹ 2124.74 करोड़ की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 5460.70 करोड़ के अदत्त ऋण का पुनर्भुगतान तथा ऊर्जा क्षेत्र में ₹ 3267.46 करोड़ की पूँजी में अभिवृद्धि होना है।

1.9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उसका कुल निवेश में प्रतिशत आगे बार चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

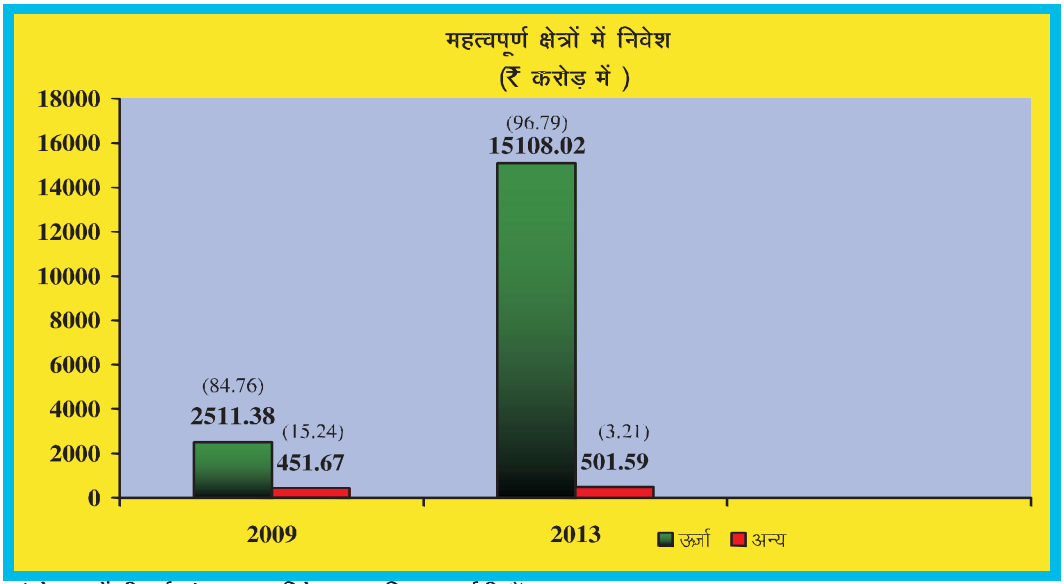

(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार का अधिकांश निवेश पीएसयू में से ऊर्जा क्षेत्र में था जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 2511.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 15108.02 करोड़ हो गया।

बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए

1.10 राज्य पीएसयू के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समता, ऋण, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलेखित ऋण, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी के प्रति बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक - 1.3*** में दिया गया है। 2012-13 तक समाप्त हुए तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	-	-	-	-	4	903.52
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	0.01	1	500.00	3	651.66
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	7	446.03	7	1515.23	6	1322.09
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7[4]	446.04	7[4]	2015.23	10[4]	2877.27
5.	समता में परिवर्तित ऋण	–		–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियां	1	2.33	1	2.50	1	500.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	345.61	2	302.84	3	937.61

1.11 पूर्व के पांच वर्षों की समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत विवरण आगे ग्राफ में दिया गया है:

[4] ये उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक संख्या है जिन्हें वर्ष के दौरान समता, ऋण, अनुदान और उपदान के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

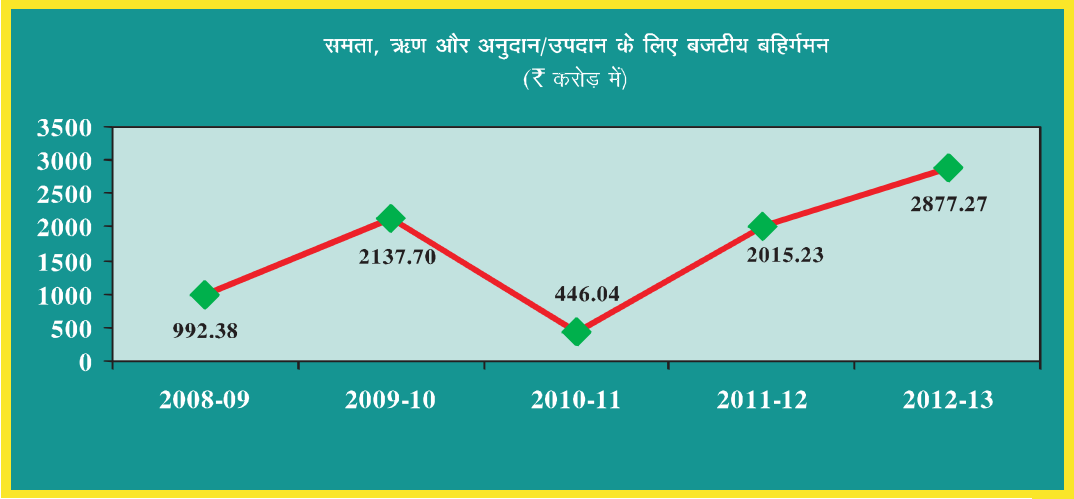

समता, ऋण और अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन ₹ 992.38 करोड़ (2008-09) से बढ़कर ₹ 2137.70 करोड़ (2009-10) हुआ। यह अत्यधिक घटकर ₹ 446.04 करोड़ (2010-11) हुआ और पुनः बढ़कर ₹ 2015.23 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 2877.27 करोड़ (2012-13) हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2877.27 करोड़ में तीन पीएसयू यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 2780.74 करोड़ का विस्तारित समर्थन ऋण, उपदान व अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 639.69 करोड़, ₹ 900 करोड़ व ₹ 1241.05 करोड़ सम्मिलित है।

1.12 अदत्त प्रत्याभूति 2010-11 में ₹ 345.61 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 937.61 करोड़ हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान किसी भी पीएसयू ने प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ों में अंतर है तो संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है:

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	1191.93	6976.91	5784.98
ऋण	962.41	359.83	602.58
गारंटियाँ	676.44	937.61	261.17

(स्त्रोतः आंकड़ों का संकलन वित्त लेखों एवं पीएसयू द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर किया गया है।)

1.14 हमने पाया कि यह अंतर तेरह[5] पीएसयू में था तथा कुछ अंतर वर्ष 2004-05 से समाधान हेतु लंबित था। सरकार एवं संबंधित पीएसयू को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

[5] सीआरबीईकेवीएनएल, सीएसवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएसीएल, सीएमएससीएल और सीएराडब्लूसी

पीएसयू का निष्पादन

1.15 पीएसयू एवं कार्यरत सांविधिक निगम के वित्तीय परिणाम एवं वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक - 1.2, 1.5 एवं 1.6*** में वर्णित है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, पीएसयू का राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। निम्न तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आवर्त[6]	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21	11776.04
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद[7]	80698.41	107848.23	129717.54	135536.34	160187.71
आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	5.91	5.05	6.79	10.48	7.35

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राज्य के पीएसयू के समग्र आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 5.91 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7.35 हो गया।

1.16 वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित समग्र लाभ/हानि का विवरण आगे बार चार्ट में दिया गया है:

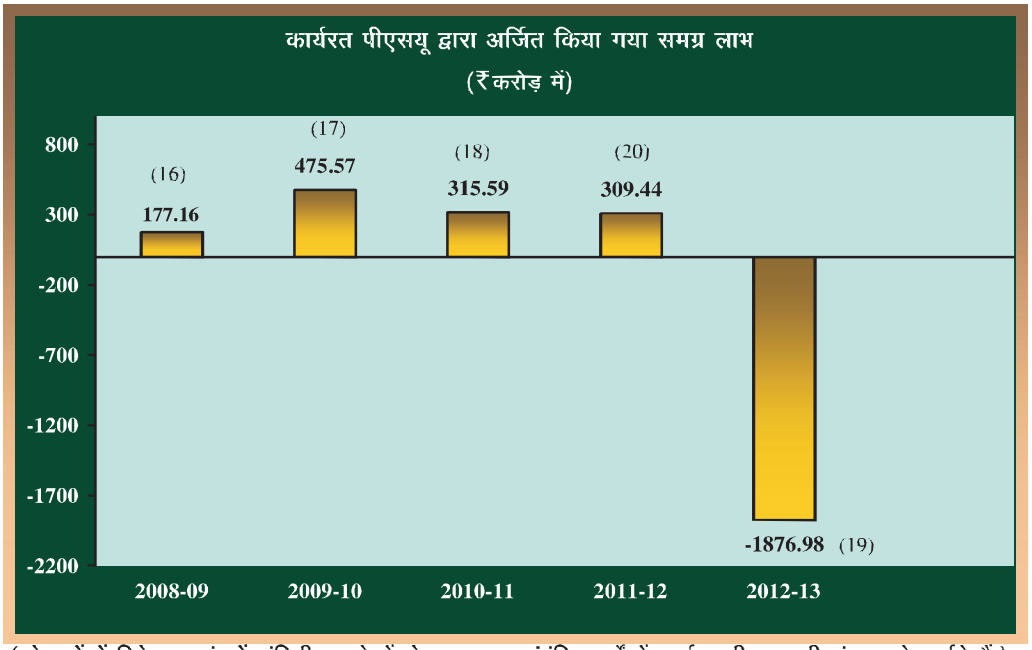

(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं)

राज्य के पीएसयू द्वारा वर्ष 2011-12 में अर्जित औसत लाभ ₹309.44 करोड़ था जो कि वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹2012.27 करोड़) के परिणामस्वरूप ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गया।

[6] 30 सितंबर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू का आवर्त

[7] वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के जीडीपी का अग्रिम आंकलन है।

30 सितम्बर 2013 को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत 19 पीएसयू[8] में से 12 पीएसयू[9] द्वारा ₹ 214.53 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया और पाँच पीएसयू[10] को समग्र रूप में ₹ 2091.51 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[11] को "न लाभ न हानि" हुआ। शेष एक पीएसयू[12] द्वारा अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया गया था। लाभ में वृहद् योगदान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹27.81 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹101.38 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (₹29.05 करोड़) का रहा। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹2012.27 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹78.88 करोड़) को हानि हुई।

1.17 पीएसयू की हानि का कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, क्रियाओं का संचालन एवं निगरानी में कमी थी। सीएजी की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयू को ₹ 204.13 करोड़* की हानि हुई जो बेहतर प्रबंधन से नियंत्रणीय था। कार्यरत् पीएसयू की लाभ/हानि तथा लेखापरीक्षा की नमूना जाँच के परिणमों का जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित है का वर्षवार विवरण नीचे दिया है:

(₹करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
कार्यरत पीएसयू का निवल लाभ(+) / हानि(-)	315.59	309.44	(-)1876.98	(-)1251.95
सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रणीय हानि	2096.95	1958.08	204.13	4259.16
निष्फलित निवेश	0	44.12	0	44.12

*** पैरा क्रमांक 2.10, 2.14, 2.17, 2.28, 3.2, 3.3 एवं 3.5 से 3.9**

1.18 उपरोक्त हानियों को पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है। वास्तविक नियंत्रणीय हानि इससे ज्यादा हो सकती है। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अच्छे प्रबंधन द्वारा लाभ को और अधिक बढ़ाया जा सकता था। पीएसयू अपने दायित्वों को दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो। उपरोक्त परिस्थिति पीएसयू के कार्यकलाप में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता इंगित करती है।

1.19 राज्य के पीएसयू से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखे के अनुसार आगे तालिका में दिये गये हैं:

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत)	14.38	12.09	5.10	5.59	(-)11.93
ऋण (₹ करोड़ में)	2861.68	4249.60	5258.06	8576.28	3156.39
आवर्त[13](₹ करोड़ में)	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21	11776.04
ऋण/आवर्त अनुपात	0.60:1	0.78:1	0.60:1	0.60:1	0.27:1
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	180.99	213.31	353.87	618.38	395.46
संचित लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	836.89	1808.06	2052.21	2002.78	(-)3136.26

[8] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएसससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल और सीएसडब्ल्यूसी

[9] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएमएससीएल और सीएसडब्ल्यूसी

[10] सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीआरसीएल और सीएससीएससीएल

[11] सीआईसीएल

[12] सीपीएचसीएल

[13] 30 सितंबर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखो के अनुसार कार्यरत पीएसयू का आवर्त

1.20 नियोजित पूँजी पर प्रत्याय वर्ष 2008-09 में 14.38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में (-)11.93 प्रतिशत हो गया। राज्य पीएसयू के संचित लाभ में वर्ष 2008-09 (₹836.89 करोड़) से 2011-12 (₹2002.78 करोड़) के दौरान बढ़ोतरी हुई जोकि वर्ष 2012-13 में ₹3136.26 करोड़ की संचित हानि में बदल गयी । यह पीएसयू के कार्य निष्पादन में क्षरण को प्रदर्शित करता है। ऋण आवर्त अनुपात वर्ष 2008-09 के 0.60:1 से घटकर वर्ष 2012-13 में 0.27:1 हो गया।

1.21 राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गई है। 12 पीएसयू ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹214.53 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल दो पीएसयू[14] ने ₹2.97 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों के अंतिमीकरण में विलंब

1.22 कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 166, 210, 230, 619 एवं 619(ब) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर तैयार किए जाने चाहिए। इसी तरह सांविधिक निगमों के विषय में उनके लेखो का अंतिमीकरण, अंकेक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सितंबर 2013 तक कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की प्रगति का विवरण अग्र तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	16[15]	17[16]	18[17]	20[18]	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	9	16	15	16	24
3.	लंबित लेखों की संख्या	36	36	38	41	36
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	2.57	2.25	2.24	2.16	1.89
5.	लंबित लेखों वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	13	15	15	15	15
6.	लंबित लेखों का विस्तार (वर्षों में)	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 6	1 से 7

1.23 पीएसयू के लंबित लेखों की संख्या 2008-09 में 13 पीएसयू के विषय में 36 लेखों से 2011-12 में बढ़कर 15 पीएसयू के विषय में 41 हो गई, जो वर्ष 2012-13 में घटकर 15 पीएसयू के विषय में 36 हो गई।

1.24 राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे तैयार नहीं किए गए उन वर्षों में 10 पीएसयू में ₹4795.29 करोड़ (समता : ₹903.52 करोड़, ऋण : ₹1120.78 करोड़ अनुदान : ₹320.63 करोड़ एवं सब्सिडी ₹2450.36 करोड़) का निवेश रहा, जिसका विवरण ***अनुलग्नक - 1.4*** में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति में एवं तत्पश्चात्

[14] सीआरवीवीएनएल और सीएसडब्ल्यूसी

[15] 30 दिसंबर 2008 को स्थापित सीएसपीएचसीएल एवं सीएसपीटीआरसीएल को शामिल करते हुए तथा जिनके प्रथम लेखों को 15 माह की अवधि हेतु तैयार किये जाने के कारण लंबित होने पर विचारित नहीं किया गया।

[16] राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार 1 जनवरी 2009 से प्रभावी पाँच कंपनियों में विखंडित सीएसईबी को शामिल करते हुये। सीएसईबी का नाम अध्याय में समाधान हेतु शामिल किया गया है, जिसके 2008-09 तक के लंबित लेखों का अंतिमीकरण।

[17] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है।

[18] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नही किया गया और 14 दिसम्बर 2011 को स्थापित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नही किया गया है। जबकि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कंपनी ने दो पृथक लेखे, पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

अंकेक्षण की अनुपस्थिति से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं किये गये खर्चों को यथोचित रूप से लेखांकित किया गया तथा जिस उद्देश्य से निवेश किया गया था, वह उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार सरकार द्वारा इन पीएसयू में किया गया निवेश राज्य विधायिका की संवीक्षा की सीमा से बाहर रहा। इसके अतिरिक्त लेखों के अंतिमीकरण में विलंब के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे का जोखिम तथा सार्वजनिक कोष का क्षरण हो सकता है।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वह इन इकाईयों के कार्यकलापों की निगरानी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं सरकारी अधिकारियों को लंबित लेखों की जानकारी दे दी गई तथापि सुधार के कोई उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा इन पीएसयू की शुद्ध परिसम्पत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सका। लंबित लेखों का मामला हमारे द्वारा मुख्य सचिव की जानकारी में भी लाया गया (सितम्बर 2013) ताकि लंबित लेखों का समयबद्ध रूप से जल्दी निपटारा किया जा सके ।

1.26 इन उपरोक्त लंबित लेखों को देखते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लेखों के समयबद्ध अंतिमीकरण को सुनिश्चित एवं निगरानी करना चाहिये।

लेखा टिप्पणी एवं आंतरिक अंकेक्षण

1.27 1 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2013 तक की अवधि में 14 कार्यरत कंपनियों ने अपने 23 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से 13 कंपनियों[19] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	1027.92	8	1024.43	6	9.41
2.	हानि में वृद्धि	1	0.36	-	-	4	42.66
3.	लाभ में वृद्धि	2	3.66	-	-	4	10.90
4.	हानि में कमी	-	-	1	6469.24	3	129.49
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	15.62	-	-	-	-

1.28 वर्ष 2012-13 के दौरान, वैधानिक अंकेक्षकों ने आठ लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र तथा 15 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र प्रदान किए। कंपनियों द्वारा लेखा मानकों (ए.एस.) का अनुपालन सामान्यतः संतोषजनक रहा क्योंकि वर्ष के दौरान केवल नौ मामलों में ए.एस-15[20], तीन मामलों में ए.एस.-2[21] तथा

[19] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीआईएसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसएसीएसीएल तथा सीएसपीएचसीएल, सीएमएससीएल तथा सीएसपीटीआरसीएल

[20] ए.एस.-15 : नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन

[21] ए.एस.-2 : स्कंध का मूल्यांकन

ए.एस.-28[22] एवं एक मामले में, ए.एस.-1[23], ए.एस.-9[24], ए.एस.-21[25], ए.एस.-23[26] तथा ए.एस.-27[27] का गैर अनुपालन देखा गया ।

1.29 वर्ष 2012-13 के दौरान अंतिमीकृत कंपनी लेखों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आगे दी गई हैः

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2007-08)

- 1 जनवरी 2006 से प्रभावी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो देय वेतन 31 मार्च 2008 तक बकाया था, का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण पूर्व अवधि व्यय तथा कर्मचारियों को भुगतान के लिए प्रावधान क्रमशः ₹ 95 लाख तथा ₹ 62 लाख कम करके दिखाया गया एवं लाभ को ₹ 1.57 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- पश्चिमी क्षेत्र विद्युत समिति को माह मार्च 2011 का अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क बिल का भुगतान माह अप्रैल 2011 को किया, जिसका प्रावधान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं तथा प्रावधान एवं हानि को ₹1.02 करोड़ से कम करके दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2011-12)

- कंपनी ने नवंबर 2000 से 2011-12 तक मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीसीएल) के साथ द्विपक्षीय लेनदेन के गैर लेखाकरण के परिणामस्वरूप शुध्द हानि तथा अन्य चालू देयाताओं को ₹ 9.40 करोड़ से कम करके दिखाया गया है।
- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को देय अधिभार का कम प्रावधान करने के कारण विद्युत क्रय लागत एवं हानि तथा संबंधित अन्य चालू देयताएँ को ₹6.49 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- गत वर्ष 2007-08 से 2010-11 में कर के कम कटौती/कर का स्त्रोत पर कटौती को विलंब से जमा करने पर आयकर विभाग द्वारा माह नवंबर 2011 से दिसंबर 2012 के दौरान ब्याज की मांग की गई जिसका प्रावधान नही करने के कारण वर्ष 2011-12 में अन्य चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 0.54 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- 31 मार्च 2012 तक कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसी) से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार के संबंध में ₹ 8.98 करोड़ का दावा जो कि एमपीपीएमसी से विवादित था तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में विचारित था, का लेखों की टिप्पणियों में दिखाया नहीं गया।

---

[22] ए.एस-28: संपत्तियों का क्षय
[23] ए.एस-1: लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
[24] ए.एस-9: राजस्व की पहचान
[25] ए.एस-21: समेकित वित्तीय विवरण
[26] ए.एस-23: समेकित वित्तीय विवरणो से संबंधित निवेशों का लेखांकन
[27] ए.एस-27: संयुक्त उपक्रमों के हितों का वित्तीय प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- सीएसपीटीसीएल द्वारा 33.21 प्रतिशत की जगह 33.99 प्रतिशत का गलत आयकर की दर लगाने के कारण शुद्ध हानि एवं आस्थगित कर देयताओं को ₹ 80.22 लाख से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- 31 मार्च 2011 को जल संसाधन विभाग को देय जल प्रभार ₹ 2.00 करोड़ (₹ 1.96 करोड़ पूर्व की अवधि जो कि 1 अप्रैल 2010 से पहले से संबंधित था और ₹ 0.04 करोड़ मार्च 2011 से संबंधित था) का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयतायें ₹2.00 करोड़ से कम, पूर्व अवधि व्यय ₹1.96 करोड़ तथा इसके साथ ही हानि को ₹2.00 करोड़ से कम दिखाया गया।
- साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) को मार्च 2007 से अगस्त 2007 तक देय रायल्टी जो कि अगस्त 2011 में भुगतान किया गया का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयताओं तथा हानि को ₹ 55.51 लाख से कम करके दिखाया गया।
- 26 फरवरी 2011 को हुई मीटिंग की कार्यवाही विवरण के अनुसार कंपनी में एसईसीएल को मार्च 2007 से अगस्त 2007 तक कुसमुन्डा खान से कोयला आपूर्ति के एवज में सतह परिवहन शुल्क का भुगतान करना स्वीकार किया, जिसका प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयताएँ, पूर्व अवधि व्यय तथा हानि को ₹ 7.02 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पारेषित विद्युत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को देय दो पैसे प्रति इकाई की दर से विद्युत शुल्क का प्रावधान नहीं करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर विविध देनदार के लिये प्रावधान को ₹57.05 करोड़ से कम दिखाया गया।
- 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 5(2) के अनुसार राज्य सरकार को सीएसपीडीसीएल को प्रेषित ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क का भुगतान न किये जाने पर राज्य सरकार को 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डीय ब्याज देय है जिसका प्रावधान नहीं करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर के प्रावधान तथा हानि को ₹ 14.69 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- सहायक खपत के लिये राज्य सरकार को 31 मार्च 2011 को देय विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उपकर का कम प्रावधान करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर के लिये प्रावधान तथा हानि को ₹ 1.47 करोड़ से कम करके दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (2011-12)

- 31 मार्च 2012 को पीएफसी से ₹ 200 करोड़ का ऋण लिया तथा जिस पर ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं, के गैर लेखांकन के कारण लाभ को ₹1.10 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2011-12)

- कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित भूमि पर ₹ 50 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ₹5.91 करोड़ भूभाटक का भुगतान करने की सहमति दी, जिसका प्रावधान नही करने के कारण ₹ 5.91 करोड़ से अन्य चालू देयताओं को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।

1.30 इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यरत छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम ने वर्ष 2011-12 के लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। सांविधिक अंकेक्षको द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चयनित किया गया। इस पर वैधानिक अंकेक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.81
2	लाभ में कमी	2	3607.91	2	1056.20	-	-
3	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	1.93	-	-	-	-
	योग		**3609.84**		**1056.20**		**0.81**

1.31 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के वर्ष 2011-12 के लेखों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी आगे दी गई है:

- आस्थगित कर ₹ 15.78 लाख के स्थान पर ₹ 83.17 लाख का त्रुटिपूर्ण समायोजन करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.39 लाख से आस्थगित कर के प्रावधान को कम करके दिखाया गया तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।

लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ

1.32 वर्ष 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबंधन को ₹78.21 करोड़ की वसूली बतायी गई, जिसमें ₹5.55 करोड़ स्वीकार की तथा उसकी वर्ष 2012-13 के दौरान वसूली की गयी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.33 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में रखा गया		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधायिका में रखे जाने कि तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	2011-12	21.02.2013	16.07.2013

(स्त्रोतः निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.34 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मण्डल का विखण्डन पाँच कंपनियों[28] में हुआ जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी था।

1.35 राज्य ने मई 2004 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत करने, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण संबंधी मामलों में सलाह देने एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को जारी करने के उद्देश्यों के साथ की। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर 12 और 47 अन्य आदेश जारी किये।

1.36 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार ने मई 2000 में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। यद्यपि नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुए। परिणामस्वरूप सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और चिन्हित उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

[28] सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, और सीएसपीटीसीएल